अध्याय–तीन

विभाग के अन्तर्गत आने वाले निगम,उपक्रम व संस्थाओं का विवरण

1.5 मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम

1.5.1 निगम का गठन

राष्ट्रीय कृषि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट, 'प्रोडक्शन फॉरेस्ट्रीः मैन–मेड फॉरेस्ट्स' (1972) के आधार पर रू0 20.00 करोड़ की अधिकृत पूंजी से मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई, 1975 को की गई थी। म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसरण में दिनांक 1 अप्रेल 2001 को मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लि. का विभाजन, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लि. एवं म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. के मध्य किया जा चुका है। 31 अक्टूबर 2006 से निगम की अधिकृत अंशपूंजी रू. 40.00 करोड़ तथा प्रदत्त अंशपूंजी रू. 39,31,75,600 है, जिसमें से केन्द्र शासन का अंशदान रू. 1,38,60,000 एवं मध्यप्रदेश शासन का अंशदान रू. 37,93,15,600 है।

1.5.2 निगम का संचालक मंडल

शासन द्वारा निगम के संचालन हेतु संचालक मंडल का गठन किया गया है जिसमें वर्तमान स्थिति में 6 संचालक, शासन द्वारा मनोनीत किये गये हैं।

1.5.3 निगम के प्रमुख उद्देश्य

निगम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य निम्न कोटि के वनक्षेत्रों को तेजी से बढ़ने वाली बहूमूल्य तथा बहुउपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है।

1.5.4 प्रशासनिक संरचना

तालिका क्रमांक – 1.44
क्षेत्रीय इकाईयॉ

क्षेत्रीय इकाईयॉ	संख्या	इकाईयॉ
क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक	03	भोपाल, जबलपुर, सिवनी
संभागीय प्रबंधक	11	खंडवा, सीहोर, विदिशा–रायसेन (भोपाल), बरघाट (सिवनी), छिंदवाड़ा, लामटा (बालाघाट), रामपुर–भतौड़ी (बैतूल), कुंडम (जबलपुर), मोहगांव (मंडला), रीवा–सीधी (सीधी), उमरिया,

क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) के समकक्ष कार्य करते हैं जिनके अधीन संभागीय प्रबंधक पदस्थ किये जाते हैं। क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक भोपाल के अधीन 3 संभागीय प्रबंधक, क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक जबलपुर के अधीन 4 संभागीय प्रबंधक तथा क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, सिवनी के अधीन 4 संभागीय प्रबंधक कार्यरत हैं। संभागीय प्रबंधक वन विभाग के वनमंडलाधिकारी के समकक्ष क्षेत्र में कार्य करते हैं। राज्य शासन द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी कर वन विकास निगम के क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक को मुख्य वनसंरक्षक (क्षेत्रीय) के समकक्ष तथा संभागीय प्रबंधक को वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) के समकक्ष वैधानिक अधिकार प्रदाय किये गये हैं।

दिनांक 01.01.2019 की स्थिति में निगम के कुल स्वीकृत अमले 1300 के विरूद्ध कार्यरत संख्या 654 है।

गतिविधियां एवं उपलब्धियां

सागौन एवं बांस का व्यावसायिक रोपण निगम की मुख्य गतिविधि है। निगम विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत व्यावसायिक बैंकों से ऋण प्राप्त कर वन विभाग द्वारा हस्तांतरित वन भूमि पर रोपण करता है।

1.5.5 निगम का लेखा

वर्ष 2016–17 के निगम के लेखे दिनांक 13.03.2018 को विधानसभा पटल पर रखे जा चुके हैं। वर्ष 2017–18 के लेखे संचालक मंडल की बैठक में अनुमोदित कराये जा चुके है। संविधिक अंकेक्षक द्वारा लेखो का प्रमाणीकरण कर प्रतिवेदन प्राप्त कर महालेखाकार कार्यालय को पूरक अंकेक्षण हेतु प्रेषित किये जावेगें। पूरक अंकेक्षण का अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् अशंधारियों की वार्षिक साधारण बैठक में अंगीकृत कराकर वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने हेतु विधानसभा सचिवालय को प्रेषित किये जावेगें।

स्थापना वर्ष से ही निगम निरंतर लाभ में चल रहा है। वर्ष 2016–17 तक संचित लाभ रू0 343.53 करोड़ है। निगम द्वारा प्रदत्त अंशपूंजी पर वर्ष 2016–17 के लिये राज्य शासन को राशि रू0 8214.02 लाख तथा भारत सरकार को रशि रू0 324.22 लाख लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान किया जा चुका है। निगम द्वारा म.प्र. शासन वन विभाग को प्रारंभ से वर्ष 2016–17 तक का लीजरेंट कुल राशि रूपये 779.92 करोड़ का भुगतान/समायोजन किया गया है।

बजट की स्थिति

निगम के संचालक मंडल की बैठक में वर्ष 2018–19 का बजट निम्नानुसार अनुमोदित किया गया है जिसका विवरण **तालिका क्रमांक– 1.45** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक – 1.45

वन विकास निगम का बजट (2018–19)

क्र.	विवरण	बजट अनुमान (लाख रू0 में)
(अ)	प्रारंभिक बैंक शेष	7330.00
(ब)	प्राप्तियां/आय	
	1. विदोहन से (कर के अतिरिक्त)	24600.00
	2. डिपाजिट रोपण हेतु प्राप्तियां	2898.00
	3. म.प्र. शासन से कमीशन	305.00
	4. विविध आय	1741.00
	5. कैम्पा से अनुदान	2883.00
	6. निगम के रोपण हस्तांतरण की क्षतिपूर्ति	10.00
	7. एन.टी.पी.सी. से रोपण हेतु प्राप्ति	1105.00
	योग (ब)	**33542.00**
	योग (अ + ब)	**40872.00**
(स)	व्यय/भुगतान	
	1. विदोहन व्यय	4455.00
	2. रख–रखाव	1582.00
	3. स्थापना व्यय	6450.00
	4. वृक्षारोपण/पुनरूत्पादन व्यय	10729.00

क्र.	विवरण	बजट अनुमान (लाख रू0 में)
	5. डिपॉजिट रोपण व्यय	2368.00
	6. पूंजीगत व्यय	1490.00
	7. अनुसंधान विकास एवं कार्य आयोजना व्यय	50.00
	8. ईकोपर्यटन/टाईगर सफारी	10.00
	9. आयकर भुगतान	765.00
	10. म.प्र. शासन/भारत सरकार को लाभांश का भुगतान	1300.00
	11. म.प्र. शासन को लीज रेंट का भुगतान	9000.00
	12. अतिरिक्त बजट स्वीकृति	100.00
	योग (1 से 12)	**38299.00**
(द)	**अंतिम बैंक शेष**	**2573.00**
	योग (स + द)	**40872.00**

1.5.6 वृक्षारोपण की उपलब्धियां

निगम द्वारा स्वयं के संसाधनों से विगत 5 वर्षों में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी निम्नानुसार **तालिका क्रमांक–1.46** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक – 1.46

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

योजना वर्ष	2014	2015	2016	2017	2018	Total
सागौन रोपण (वर्षा आधारित)	5417	7091	5406	4464	3879	26257

वन विकास निगम रोपणीय नर्मदा नगर खण्डवा

वन विकास निगम कुण्डम परियोजना वृक्षारोपण 1981

वन विकास निगम द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त बजट से किये गये वृक्षारोपण की स्थिति निम्नानुसार है, इसमें डिपॉजिट वर्क, 12वें एवं 13वें वित्त आयोग तथा कैम्पा आदि भी शामिल हैं:

तालिका क्रमांक – 1.47

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

योजना	2014	2015	2016	2017	2018	योग
उच्च उत्पादकता सागौन रोपण योजना	-	4894	4301	-	2346	11541
13 वें वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त सागौन रोपण योजना	1658	-	-	-	-	1658
एन.टी.पी.सी. योजना अंतर्गत रोपण	-	-	372	298	180	850
बांस रोपण (निगम के स्त्रोत से)	-	10	92	157	40	299
मिश्रित रोपण (निगम के स्त्रोत से)	7	8	-	-	-	15
कैम्पा से अनुदान प्राप्त सागौन रोपण योजना	2610	-	-	3152	200	5962
प्रायोगिक नीलगिरी रोपण(निगम के स्त्रोत से)	-	101	-	-	-	101
बांस अधोरोपण (निगम के स्त्रोत से)	-	4356	-	-	-	4356
योग	4275	9369	4765	3607	2766	24782
डिपॉजिट वर्क (पौधों की संख्या लाख में)	7.26	4.59	6.21	7.56	7.59	33.21

1.5.7 श्रमिक कल्याणकारी योजनाएं

श्रमिक कल्याणकारी या महिलाओं के लिये पृथक से कोई योजना निगम द्वारा नहीं चलाई जा रही है। परंतु निगम द्वारा संचालित समस्त वानिकी कार्य बिना भेदभाव के महिला एवं पुरूष श्रमिकों द्वारा ही संपन्न किये जाते हैं। निगम का अधिकांश कार्यक्षेत्र आदिवासी बहुल है। निगम की स्थाई रोपणियों में वर्ष भर लगातार कार्य उपलब्ध रहता है, जिसमें अधिकांश महिलाएं कार्यरत हैं। निगम के अन्य वानिकी कार्यों में भी महिलाओं को रोजगार के बराबर अवसर प्रदान किये जाते हैं। इन कार्यों में प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। कार्यस्थल पर श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है। कम्पनी अधिनियम 1956 (संशोधित कंपनी अधिनियम 2013) के प्रावधानों के अनुसार वनक्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों एवं समीपस्थ ग्रामीणों के लिये निगम के शुद्ध लाभ की 2 प्रतिशत राशि निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) के अन्तर्गत मछली पालन, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य शिविर आदि कार्यों पर व्यय की जा रही है। सामुदायिक भवन निर्माण, नलकूप खनन, तालाब निर्माण/गहरीकरण कार्यों पर वर्ष 2014–15 में राशि रूपये 138.14 लाख, वर्ष 2015–16 में राशि रूपये 183.56 लाख, वर्ष 2016–17 में राशि रूपये 50.75 लाख तथा वर्ष 2017–18 में राशि रू. 144.11 लाख व्यय की गई है एवं 2018–19 में राशि रूपये 159.12 लाख के कार्य स्वीकृत किये गये है।

1.5.8 संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत समितियों को लाभांश वितरण

वन विभाग द्वारा हस्तांतरित निगम के क्षेत्रों में संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत वर्ष 2006–2007 में 80 समितियों को रू. 213.12 लाख, वर्ष 2007–2008 में 99 समितियों को रू. 382.88 लाख, वर्ष 2008–09 में 131 समितियों को रू. 515.77 लाख, वर्ष 2009–10 हेतु 83 समितियों को रू. 460.46 लाख वर्ष 2010–11 में 105 समितियों को रू. 449.86 लाख, वर्ष 2011–12 में 104 समितियों को रू. 504.06 लाख एवं वर्ष 2012–13 में 78 समितियों को रूपये 555.22 लाख लाभांश की राशि वितरित की जा चुकी है। वर्ष 2013–14 हेतु 70 समितियों के लिये राशि रू. 450.42 लाख वितरित की जा चुकी है। वर्ष 2014–15 के लाभांश की 84 समितियों के लिये राशि रू. 541.34 लाख वितरित की जा चुकी है। वर्ष 2015–16 के लाभांश की 98 समितियों के लिये राशि रू. 1663.91 लाख वितरित की जा चुकी है। वर्ष 2016–17 के लाभांश की 98 समितियों के लिये राशि 1520.34 लाख में से राशि रू. 440.19 लाख वितरित की जा चुकी है तथा शासन से प्राप्त शेष राशि रू. 1080.15 लाख शीघ्र वितरण की कार्यवाही की जा रही है।

वनोपज का विदोहन

तालिका क्रमांक – 1.48

काष्ठ बॉस उत्पादन (विक्रय) एवं प्राप्त राजस्व

विवरण	वर्ष				
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
ईमारती लकड़ी (घन मीटर)	112867	91762	103650.972	105192.936	106322
जलाऊ चट्टे (नग)	124761	94082	98681	95937	88470
बॉस (नो.टन)	6994	4874	3428.803	3139.335	2700
प्राप्त राजस्व (करोड़ रूपये)	211.77	195.48	238.94	225.80	246.31

1. बल्लियों के लिये 100 बल्ली = 1 घनमीटर माना गया है।
2. व्यापारिक बॉस के लिये 500 बॉस = 1 नो0 टन माना गया है।
3. भौतिक आंकड़े विक्रय के है।

1.6 मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ

वनोपज के संग्रहण एवं व्यापार से वनवासियों को लाभ दिलाने की दृष्टि से वर्ष 1984 में मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ का गठन मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत हुआ। मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1988 में लघु वनोपज के संग्रहण, भण्डारण एवं व्यापार से बिचौलियों को पूर्णतः समाप्त करने के लिये वास्तविक संग्रहण कर्ताओं की त्रिस्तरीय सहकारी संस्थाओं का गठन किया गया। प्राथमिक स्तर पर वास्तविक संग्राहकों की सदस्यता से 1071 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां, जिला स्तर पर 60 जिला वनोपज सहकारी संघ तथा शीर्ष स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, कार्यरत् है। वनोपज को राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत दो श्रेणियों में बांटा गया है। राष्ट्रीयकृत वनोपज में वर्तमान में मात्र तेन्दूपत्ता एवं कुल्लू गोंद हैं। अराष्ट्रीयकृत वनोपज जैसे हर्रा, बहेडा, लाख, अचार, महुआ, शहद, माहुल पत्ता, आंवला एवं औषधीय वनोपजों का संग्रहण विपणन करने की स्वतंत्रता है। मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, राष्ट्रीयकृत वनोपज का संग्रहण एवं व्यापार समितियों के माध्यम से करता है। अराष्ट्रीयकृत वनोपज के संग्रहण, विपणन में समन्वयक की भूमिका निभाता है।

तेन्दुपत्ता संग्रहण

1.6.1 राष्ट्रीयकृत वनोपज
तेंदूपत्ता

विगत तीन वर्षों में संग्रहण एवं निर्वर्तन की जानकारी का विवरण तालिका क्रमांक– 1.49 **में दर्शित है।**

तालिका क्रमांक– 1.49
तेन्दूपत्ता संग्रहण एवं निर्वर्तन

संग्रहण वर्ष	संग्रहण दर (रु.प्रति मा.बो.)	कुल संग्रहित मात्रा (लाख मानक बोरा में)	संग्रहण मजदूरी की राशि (करोड़ रुपये में)	विक्रित मात्रा (लाख मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6
2016	1250	18.57	232.07	18.57	627.25
2017	1250	23.37	292.13	23.37	1339.37
2018	2000	19.14	382.80	18.67	900.72

1.6.2 मुख्यमंत्री तेन्दूपत्ता संग्राहक कल्याण सहायता योजना

लघु वनोपज संघ द्वारा दिनांक 01.04.2018 से 18 से 60 वर्ष के तेन्दूपत्ता संग्राहकों हेतु मुख्यमंत्री तेन्दूपत्ता संग्राहक कल्याण सहायता योजना प्रारंभ की गई है। इसके अन्तर्गत सग्राहकों की सामान्य मृत्यु की दशा में दावेदारों को रूपये 10,000/–, आंशिक अपंगता की दशा में रू. 20,000/–, पूर्ण अपंगता की दशा में रू. 50,000/– तथा दुर्घटना में मृत्यु की दशा में रू. 2.00 लाख की आर्थिक सहायता लघु वनोपज संघ द्वारा प्रदाय की जाएगी। दुर्घटना में मृत्यु की दशा में भुगतान की जाने वाली राशि रू. 2.00 लाख में से रू. 1.00 लाख की प्रतिपूर्ति मध्यप्रदेश शासन द्वारा की जाएगी।

उक्त योजनांतर्गत 30 नवम्बर 2018 तक लाभांवित संग्राहकों एवं बीमा क्लेम की जानकारी **तालिका क्रमांक–1.50** पर दर्शित है।

तालिका क्रमांक– 1.50

संग्राहक सामान्य/दुर्घटना	संग्राहकों के दावेदारों की संख्या	बीमा क्लेम की प्रदाय राशि (रुपए लाख में)
सामान्य मृत्यु	155	15.50
दुर्घटना मृत्यु	19	38.00
योग	**174**	**53.50**

1.6.3 न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज का कय

मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल द्ववारा ''न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा लघु वन उत्पाद के लिये मूल्य श्रृंखला विकास के माध्यम से लघु वन उत्पाद का विपणन (Mechanism for marketing of Minor Forest Produce (MFP) and development of value chain for MFP)'' योजना जो कि 75 प्रतिशत भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय से पोषित है उसकी स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। इस परियोजना अंतर्गत मध्य प्रदेष में प्रमुखता से पाई जाने वाली 12 लघु वनोपज प्रजातियों – अचार गुठली, बहेड़ा, बेलगूदा, चकौड़ा बीज, हर्रा, शहद, करंज बीज, लाख कुसुम, लाख रंगीनी, महुआ बीज, नीम बीज, नागर मोथा तथा साल बीज का संग्रहण न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जायेगा। जिसके निर्धारित मूल्य **तालिका क्रमांक–1.51** पर दर्शित है।

तालिका क्रमांक– 1.51

क्रमांक	वनोपज	न्यूनतम समर्थन मूल्य
1	अचार गुठली	100/–
2	बेल गूदा	15/–
3	करंज बीज	35/–
4 (i)	लाख कुसुमी	167/–
(ii)	बलाख रंगीनी	130/–
5	महुआ बीज	30/–
6	नीम बीज	12/–
7	साल बीज	12/–
8	शहद	150/–
9	बहेडा	15/–
10	चकोडा बीज	8/–
11	हर्रा	10/–
12	नागरमोथा	25/–

लघु वनोपज के क्रय हेतु 23 जिलो में स्थानीय बाजार हाट में स्थान निष्चित करते हुये संग्रहण केन्द्र स्थापित किया जायेगा, जहॉ पर प्लेटफार्म/षेड/भंडारण गृह का निर्माण कर क्रय की अन्य व्यवस्था की जायेगी।

आंवला संग्रहण

1.6.4 वन धन विकास केन्द्र योजना

लघु वनोपजों के संग्राहकों के द्वारा संग्रहित वनोपजों का सही मूल्य दिलाने की अभिनव योजना है।, जिसमें 10 स्वसहायता समूह क्लस्टर का एक केन्द्र होगा जिसमें प्रत्येक स्वसहायता समूह में 30 सदस्य होंगें। इस प्रकार एक वन धन केन्द्र में 300 संग्राहक होंगें। प्रथमतः यह योजना 13 जिलों में प्रारंभ की जा रही है।

1. प्रत्येक वन धन केन्द्र में संग्राहकों को प्राथमिक स्तर से प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं स्थापना हेतु लागत रूपये 25.00 लाख रखी गयी है। जिसका 100 प्रतिशत अनुदान ट्राईफेड द्वारा दिया जाएगा।
2. इसे सफल बनाने हेतु प्रचार–प्रसार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाएगा।

1.6.5 एकलव्य शिक्षा विकास योजना

लघु वनोपज संघ द्वारा ''एकलव्य शिक्षा विकास योजना'' नवंबर 2010 में प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य वनक्षेत्रों में निवास करने वाले तेन्दूपत्ता संग्राहकों के बच्चों की शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करना है, जिससे उनके होनहार बच्चे धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जाएं। इस उदेश्य की पूर्ति हेतु उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं शिक्षा का व्यय वनोपज संघ द्वारा वहन किया जाता है। योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैंः –

(i) प्रदेश के तेन्दूपत्ता संग्राहकों, फड़ मुंशियों एवं प्राथमिक वनोपज समितियों के प्रबंधकों के पिछली परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक पाने वाले बच्चों को योजना का लाभ लेने की पात्रता है। पात्रता हेतु संग्राहक के लिए यह आवश्यक है कि विगत पांच वर्षों में कम से कम तीन वर्षो में उसके द्वारा न्यूनतम एक मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया गया हो तथा फड़ मुंशी एवं समिति प्रबंधक द्वारा कम से कम तीन वर्षों में तेन्दूपत्ता सीजन में कार्य किया गया हो।

(ii) योजना में शिक्षण शुल्क, पाठ्य पुस्तकों पर व्यय, छात्रावास व्यय तथा वर्ष में एक बार घर आने–जाने हेतु यात्रा व्यय दिया जाता है, तथा सहायता की अधिकतम वार्षिक सीमा निम्नानुसार होगी–

- **कक्षा 9 वीं एवं 10 वीं के विद्यार्थियों को 12,000 रुपये अधिकतम**
- **कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं के विद्यार्थियों को 15,000 रुपये अधिकतम**
- **गैर तकनीकी स्नातक विद्यार्थियों को 20,000 रुपये अधिकतम**
- **व्यावसायिक कोर्स के विद्यार्थियों को 50,000 रुपये अधिकतम**

लाभांवित हितग्राहियों की वर्षवार संख्या का विवरण **तालिका क्रमांक 1.52** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक– 1.52

योजना अन्तर्गत प्रदाय छात्रवृत्ति

शैक्षणिक सत्र	लाभांवित छात्र/छात्राओं की संख्या			योग	स्वीकृत राशि (लाख रूपए में)
	स्कूल शिक्षा	उच्च शिक्षा स्नातक	तकनीकी शिक्षा स्नातक		
2010-11	842	196	23	1061	46.85
2011-12	643	104	42	789	35.28
2012-13	637	114	66	817	50.21
2013-14	527	96	91	714	56.78
2014-15	582	85	81	748	61.70
2015-16	680	100	94	874	82.24
2016-17	1131	194	103	1428	129.85
2017-18	724	154	78	956	101.70
योग	**5766**	**1043**	**578**	**7387**	**564.61**

तेन्दूपत्ता संग्राहकों को जूता, चप्पल, पानी की बॉटल एवं महिला संग्राहकों को साडी प्रदाय योजनाः–माननीय मुख्यमंत्री जी, द्वारा तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिये चरण पादुका योजना का शुभारम्भ दिनांक 19.04.2018 को किया गया। माह अक्टूबर 2018 के चतुर्थ सप्ताह तक सामग्री का वितरण निम्नानुसार किया जा चुका है। जिसका विवरण **तालिका क्रमांक 1.53** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.53

सामग्री	वितरित संख्या (लाख)
जूता	11.07
चप्पल	11.05
साडी	11.06
पानी की बॉटल	22.29

1.6.6 प्रोत्साहन पारिश्रमिक

संविधान के 73 वें संशोधन के फलस्वरूप लघु वनोपज का स्वामित्व ग्राम सभाओं को सौंपा गया है। प्रदेश में लघु वनोपज व्यवसाय से ग्रामीणों को उचित लाभ दिलाने के लिए अनेक नीतिगत निर्णय लिये गये हैं। लघु वनोपज के अंतर्गत तेन्दूपत्ता के व्यवसाय से होने वाली संपूर्ण शुद्ध आय प्राथमिक सहकारी वनोपज समितियों को उपलब्ध कराई जा रही है। इस व्यवस्था को लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है।

वर्तमान में शुद्ध आय का 70 प्रतिशत भाग संग्राहकों को, उनके द्वारा संग्रहित मात्रा के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में नगद भुगतान करने का प्रावधान है। शेष 30 प्रतिशत में से 15 प्रतिशत भाग वनों के पुनरोत्पादन पर लगाया जा रहा है तथा 15 प्रतिशत की अवशेष राशि सहकारी समितियों को उनकी प्राथमिकता के आधार पर उनकी माँग अनुसार ग्राम की मूलभूत सुविधाओं के विकास में दी जा रही है।

इस व्यवस्था के अंतर्गत विगत तीन वर्षों की प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि का विवरण **तालिका क्रमांक'1.54** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.54

संग्रहण वर्ष	प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि (रूपये करोड़ में)
2015	71.317
2016	207.68
2017	495.77
कुल योग	**774.767**

1.6.7 अन्य योजनाएँ

(i) लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, (एम.एफ.पी–पार्क) बरखेड़ा पठानी

- **केन्द्र की गतिविधियाँ**

इस केन्द्र की स्थापना वर्ष 2004–2005 को की गई इसकी स्थापना का सैद्वान्तिक आधार माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें वनौषधियों के मूल्य संवर्धन के उपरांत प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्माण किया जाता है। पूर्व में प्रदेश से वनौषधियें का विपणन बिना मूल्य संवर्धन के ही प्रचलन में था। मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की प्रसंस्करण इकाई लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी.–पार्क), वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल द्वारा ''**विन्ध्य हर्बल्स ब्रांड**'' के अंतर्गत आयुर्वेदिक एवं हर्बल औषधियों का उत्पादन कार्य विगत 12 वर्षों से अधिक समय से किया जा रहा है । औषधियों के निर्माण हेतु ड्रग एवं कास्मेटिक्स अधिनियम 1940 के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा पद्वति एवं होम्योपेथी, मध्यप्रदेश शासन से लाइसेंस क्रमांक 25D/9/05 दिनांक 28.03.2005 लिया गया है। केन्द्र का पंजीयन कारखाना अधिनियम 1962 के अन्तर्गत श्रम एवं उद्योग विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया गया है। विन्ध्य हर्बल्स ब्रांड के व्यापार चिन्ह का पंजीयन भारत सरकार के व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के अनुसार उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार से कराया गया है। यह संस्था जिला उद्योग केन्द्र से लघु औद्योगिक इकाई के तौर पर भी पंजीकृत है। गुणवत्ता आधारित नीतियों के चलते केन्द्र को आयुष विभाग म0प्र0 शासन से GMP प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता प्रबंधन हेतु ISO एवं पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु EMS-14001 प्रमाण पत्र भी निरंतर प्राप्त होते रहे है। इस केन्द्र द्वारा उत्पादित अधिकतम उत्पादों की आपूर्ति देश के विभिन्न राज्यों के आयुष विभागों एवं अनुसंधान संस्थानों को की जाती है तथा प्रदेश में स्थापित संजीवनी केन्द्रों एवं वितरकों के माध्यम से निर्मित उत्पादों के खुदरा विपणन का कार्य किया जाता है।

- प्रसंस्कृत औषधियों का वर्गीकरण

इस केन्द्र को 840 प्रकार के औषधीय निर्माण लाइसेंस प्राप्त है। वर्तमान में केन्द्र द्वारा मांगानुसार 350 प्रकार की विभिन्न क्लासिकल शास्त्रोक्त–265 प्रोपराइटरी एवं पेटेन्टेड–75 एवं 09 प्रकार की पशु औषधियों, आयुर्वेदिक औषध्यिों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। केन्द्र में वनीय क्षेत्रों से संग्रहित की जाने वाली शहद के प्रसंस्करण की सुविधाएं भी उपलब्ध है।

- विभिन्न राज्यों को औषधीय आपूर्ति

इस केन्द्र द्वारा बढती हुई बाजार–स्पर्धा के बाद भी निरंतर आय में उत्तरोत्तर वृद्वि अर्जित की जाती रही है। विगत वर्षो में मध्यप्रदेश आयुष विभाग के अलावा आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पांडुचेरी, उड़ीसा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना, असम, अरूणाचल प्रदेश, नई दिल्ली, झारखंड, जम्मू एंवकश्मीर एवं अंडमान एवं निकोबार (18) राज्यों को शासकीय आपूर्ति की गई है ।

खुदरा विपणन– प्रदेश में स्थापित 28 संजीवनी आयुर्वेदिक केन्द्रों एवं विभिन्न जिलों के खुदरा वितरकों, दिल्ली हाट जनकपुरी के माध्यम से खुदरा विपणन का कार्य किया जाता है । केन्द्र को प्रतिवर्ष लगभग 100 लाख रूपए का राजस्व खुदरा विपणन से प्राप्त होता है।

विशिष्ट उपलब्धियांः–

1. एम.एफ.पी–पार्क , देश की पहली सहकारी/सरकारी क्षेत्र की संस्था है जिसे चिन्हित 177 प्रकार के आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्माण के लिए विश्व स्तरीय आयुष प्रीमीयम मार्क प्रमाणीकरण (प्रमाण पत्र TQC/AYUSH/0035) प्राप्त हुआ हे, जिसमें शहद एवं च्यवनप्राश भी सम्मिलित है।

2. केन्द्र द्वारा गुणवत्ता युक्त आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण कर देश के विभिन्न राज्यों के आयुष विभागों के माध्यम से आमजनों को उपलब्ध कराई जाती है। इस हेतु मध्यप्रदेश आयुष विभाग द्वारा गुणवत्ता युक्त आयुर्वेदिक औषधियों के संबंध में प्रशंसा पत्र भी केन्द्र को प्रदाय किया गया है।

3. केन्द्र की प्रयोगशाला का National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories(NABL) प्रमाणीकरण (प्रमाण पत्र TC-6989) प्राप्त किया गया है। उक्त प्रमाणीकरण प्राप्त होने से उत्पादों के गुणवत्ता परीक्षण कार्यो का संपादन पेशेवर एवं व्यवसायिक तौर पर संपादित किया जा सकेगा।

राजस्व प्राप्तियां

केन्द्र की गुणवत्ता आधारित नीतियों के चलते बढती हुई कडी बाजार प्रतिस्पर्धा के बाद भी उत्पादन कार्यों एवं राजस्व प्राप्तियों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। संस्था के कुशल संचालन एवं प्रबंधन तथा संघ मुख्यालय के अनुश्रवण का ही परिणाम है कि संस्था लाभप्रद स्थिति में बनी हुई है। यह केन्द्र शासकीय सीमाओं में रहकर आज अन्य शासकीय औषधि निर्माणकर्ता संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहा है।

विगत 5 वर्षों में राजस्व प्राप्तियों का विवरण तालिका क्रमांक'1. 55 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1 .55

वित्तीय वर्ष	प्राप्त राजस्व (राशि करोड़ रूपए में)
2013-14	10.86
2014-15	11.31
2015-16	18.41
2016-17	38.12
2017-18	24.35

(ii) संजीवनी केन्द्र की स्थापना

औषधीय पौधों एवं प्रसंस्करण केन्द्रों द्वारा उत्पादित औषधियों के विपणन के लिये भोपाल, बालाघाट, पूर्व छिन्दवाड़ा, पश्चिम छिन्दवाड़ा, देवास, शिवपुरी, औबेदुल्लागंज, कटनी, सिवनी, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, रेहटी (सीहोर), होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सतना, बरखेडा पठानी (भोपाल), मैहर, इन्दौर, पन्ना, ग्वालियर, अमरकंटक, कपिलधारा, छतरपुर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा इत्यादि में ''संजीवनी आयुर्वेद'' के नाम से 27 विक्रय केन्द्र प्रारम्भ किये गये हैं । इन विक्रय केन्द्रों के माध्यम से अर्द्ध तथा पूर्ण प्रसंस्कृत लघुवनोपजों तथा औषधीय उत्पाद आम जनता को विक्रय किया जाता है । विपणन किये जा रहे उत्पादों में आंवला मुरब्बा, अर्जुन चाय, शहद, गोंद, बेल, गुड़मार एवं त्रिफला चूर्ण आदि प्रमुख हैं ।

(iii) अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला

मध्य प्रदेष शासन वन विभाग एवं मध्य प्रदेष राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में प्रति वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय हर्बल वन मेले का आयोजन किया जाता है । इस मेले के आयोजन का मुख्य उद्देष्य निम्नानुसार है :–

- म. प्र. राज्य में प्रचुर मात्रा में पाये जाने वाले लघु वनोपजों के संबंध में समस्त को अवगत कराना ।
- लघु वनोपजों एवं औषधीय पौधों के संग्राहकों/उत्पादकों को कच्चे माल एवं उत्पादों का बाजार में महत्व से अवगत कराना।
- संग्राहकों, व्यापारियों, निर्यातकों को बाजार से जोड़ना एवं वनोपजों एवं औषधीय पौधों की गुणवत्ता की जानकारी हासिल कराना।
- लघु वनोपजों एवं औषधीय पौधों के साझेदारों के नेटवर्क को सुदृढ़ करना।
- हर्बल क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान एवं अन्य परिकल्पनात्मक गतिविधियों एवं अद्यतन जानकारी से संबंधितों को समय समय पर उपलब्ध कराना।

इस मेले का आयोजन एक वृहद् प्रकार का है जिसमें न केवल म.प्र. स्तर के लघु वनोपजों से जुड़े सहभागी भाग लेते हैं बल्कि अन्य प्रदेषों एवं अन्य देषों के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। संबंधित सभी सहभागियों का मेले में आना एवं उन्हें समस्त आवष्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराना एक चुनौती भरा कार्य है जिस हेतु एक पूर्व निर्धारित समय सारिणी को योजनाबद्ध प्रक्रिया से लागू करना आवष्यक होता है।

इस तरह के मेलों का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर 2001 से किया जाता रहा है लेकिन अंतराष्ट्रीय प्रतिभागीयों के आने एवं इस मेले के प्रति उनके उत्साह को देखकर वर्ष 2011 से अंतराष्ट्रीय वन मेले का स्वरूप दिया गया। हर वर्ष की भांति वर्ष 2017 में भी (14 से 20 दिसंबर) अंतराष्ट्रीय वन मेले का आयोजन किया गया ।

इस मेले में लघु वनोपज संग्राहको, व्यापारियों को उनके उत्पादों को एक सुलभ बाजार उपलब्ध कराने हेतु लाल परेड ग्राउड में विभिन्न पंडालों में लगभग 216 स्टॉल निर्मित कर उपलब्ध कराये गये, परंपरागत ज्ञान एवं उपचारकों तथा अनुभवि वैद्ययों को सुलभ मंच उपलब्ध कराने हेतु इस मेले में निषुल्क सेवा अंतर्गत 34 स्टॉल लगाये गये जहां आगंतुकों ने अपने बीमारियों से संबंधित वैद्यों एवं जानकारों से निषुल्क परामर्ष का लाभ उठाया गया।

लघु वनोपजों के संग्राहकों, कृषकों, व्यापारियों, निर्माताओं को एक मंच उपलब्ध करवाने हेतु क्रेता–विक्रेता सम्मेलन का आयोजन 18 दिसंबर 2017 को किया गया जिसमें लगभग 156 लाख रूपए का अनुबंध किया गया है।

लघु वनोपजों के संवहनीय विदोहन, प्राथमिक प्रसंस्करण, मूल्य संर्वधन तथा बाजार प्रबंधन से अवगत कराने हेतु संग्राहकों, कृषकों, व्यापारियों, निर्माताओं के लिए दो अर्धदिवसीय (15–16 दिसंबर) कार्यषाला का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर के संगठनों के प्रतिनिधियों एवं विषय विषेषज्ञयों द्वारा अपनी–अपनी प्रस्तुतिया दी गई । इसमें लगभग 108 प्रतिभगियों ने भाग लिया।

(iv) संचित ऋण निधि से 4 प्रतिशत ब्याज की दर पर राशि का प्रदाय।

(1) लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु जिला यूनियनों को ऋण उपलब्ध कराना

संचालक मण्डल की 87 वीं बैठक दिनांक 29.06.2010 में निर्णय लिया गया था कि संचित ऋण निधि से लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु जिला यूनियनों को 4 प्रतिशत ब्याज की राशि से ऋण उपलब्ध कराए जाएँ । प्रदेश में लघु वनोपजों तथा औषधीय पौधों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने एवं उनके व्यापार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न जिला यूनियनों को संघ मुख्यालय से ऋण निधि से कम दर के ब्याज (4 प्रतिशत) पर रूपये 614.94 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है।

(2) प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों को मोटर साइकिल क्रय हेतु ऋण प्रदाय करना

दिनांक 16.08.2010 को संचालक मंडल द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को मोटर साईकिल के वास्तविक क्रय मूल्य अथवा रूपये 50,000/– जो भी अधिक हो, के ऋण 4 प्रतिशत ब्याज की दर पर देने हेतु नियम बनाये गये हैं ।

वर्ष 2017–18 में 02 मोटर साईकिल ऋण के रूप में 02 समिति प्रबंधकों को रूपये 95000/– की राशि विमुक्त की गई।

(v) लाभांश की राशि से कराए जाने वाले कार्य

(1) वन विकास :– वर्ष 2013–14 से 2017 –18 में तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त लाभांश की राशि से वनों के विकास के अन्तर्गत अंतःस्थलीय एवं बाह्य स्थलीय संरक्षण के वन कार्य स्वीकृत किये गये। विवरण तालिका क्रमांक1. 56 मे दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.56

क्र.	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत राशि	स्वीकृत कार्यों की संख्या
1	2013–14	रू. 338.27 लाख	230.00 हेक्ट. (In-Situ)
2	2014–15	रू. 737.89 लाख रू. 301.61 लाख	935.00 हेक्ट. (Ex-Situ) 1184.00 हेक्ट. (In-Situ)
3	2015–16	रू. 117.30 लाख रू. 123.80 लाख	285.00 हेक्ट. (Ex-Situ) 540.00 हेक्ट. (IN-Situ)
4	2016–17	रू. 28.00 लाख	100.00 हेक्ट. (IN-Situ)
5	2017–18	रू. 9.70 लाख	05.0 `क्ट. (IN-Situ)

(2) अद्योसंरचना विकास :–

ग्रामों के अधोसंरचना विकास के कार्य स्वीकृत किये गये, विवरण तालिका क्रमांक 1.57 मे दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1 .57

क्रमांक	वर्ष	कार्य	राशि (रूपए लाख में)
1	2014-15	रोड, रपटा, स्टॉप डेम, पुलिया, पेयजल व्यवस्था, सामुदायिक भवन, बाउन्ड्री वाल निर्माण, विद्युतीकरण एवं आवास व्यवस्था	1655.08
2	2015-16	रोड, रपटा, पुलिया, बाउन्ड्री वाल निर्माण, स्टॉप डेम, पेयजल व्यवस्था एवं सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	697.48
3	2016-17	रोड, रपटा, पुलिया, बाउन्ड्री वाल निर्माण, स्टॉप डेम, पेयजल व्यवस्था एवं सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	2341.31
4	2017-18	रोड, रपटा, पुलिया, बाउन्ड्री वाल निर्माण, स्टॉप डेम, पेयजल व्यवस्था एवं सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	1446.56
5	2018-19	रोड, रपटा, पुलिया, बाउन्ड्री वाल निर्माण, स्टॉप डेम, पेयजल व्यवस्था एवं सामुदायिक भवन, वन रक्षक नाका, महिला शौचालय, तालाब गहरीकरण कार्य आदि	2283.62
योग			**8424.05**

मध्यप्रदेश के वन क्षेत्रों में सयुक्त वन प्रबन्धन समितियों के लघु वनोपजों के प्रसंस्करण हेतु प्रसंस्करण केन्द्र निर्माण, गोदाम निर्माण, क्षमता विकास तथा संग्रहण की प्रक्रिया के तहत सही एवं उचित लघु वनोपज संग्रहण हेतु प्रशिक्षण आदि हेतु रू. 580 लाख के प्रावधान के विरूद्व रू.500 लाख प्राप्त हुए। जिसमें अभी तक 268.50 लाख व्यय हो चुके है।

1.7 राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, वर्ष 1963 में अस्तित्व में आया। यह संस्थान वन वनस्पति, वनवर्धन, वृक्ष सुधार, बीज तकनीकी, जैव विविधता, वन आनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वनोपज विपणन, वन विस्तार, वन मापिकी, वन पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय प्रभाव, वन्यप्राणी तथा कृषि वानिकी आदि विषयों में शोध एवं क्षेत्रीय स्तर पर हस्तांतरित योग्य तकनीक विकसित कर उनके प्रचार–प्रसार का कार्य करता है। संस्थान के संचालक मंडल में 15 सदस्य हैं। संस्थान में संचालक का पद प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के स्तर का है।

क्षेत्रीय–सह–सुविधा केन्द्र, मध्यक्षेत्र, जबलपुर **(Regional Cum Facilitation Center (RCFC) for central region at SFRI, MP)**

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने अपने पत्र एफ.क्र. / ए–11019 / 04 / 2016–एन.एम.पी.बी.–III, दिनांक 21 अगस्त, 2017 द्वारा राज्य वन अनुसंधान संस्थान परिसर जबलपुर में मध्यक्षेत्र, जिनमें मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के संपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित है, के लिये बोर्ड के क्षेत्रीय–सह–सुविधा केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है। इस केन्द्र ने मध्य प्रदेश राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के पोलीपाथर, नर्मदा रोड, जबलपुर स्थित संस्थान परिसर में अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। इस केन्द्र का औपचारिक लोकार्पण तथा केन्द्र की वेबसाईट का दिनांक 18 / 05 / 2018 को राष्ट्रीय औषधी पादप बोर्ड, नई दिल्ली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा किया गया। इस केन्द्र द्वारा औषधीय पौध के क्षेत्र में दोनों राज्यों में औषधीय पौधों से संबंधित उत्पादक एवं विक्रेता के क्षमता विकास, औषधीय पौधों की खेती, कटाई, प्रसंस्करण, भण्डारण, मूल्य संवर्धन तथा विपणन इत्यादि में सक्रिय भूमिकानिभाती है। इस केन्द्र द्वारा अब तक 13 अनुसंधान परियोजनाओं को प्रायोजित किया गया है।

अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों के माध्यम से संचालित लघु अनुसंधान कार्यों पर तकनीकी सलाह एवं मार्गदर्शन :

मध्यप्रदेष वन विभाग मुख्यालय, भोपाल अनुसंधान / विस्तार एवं लोकवानिकी म.प्र. भोपाल द्वारा सभी मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों, को राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर को अपना–अपना अनुसंधान प्रस्ताव प्रेषित कर तकनीकि सलाह एवं परियोजना क्रियान्वयन में समय–समय पर मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है।

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के वैज्ञानिक तथा वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों द्वारा सौंपे गए विभिन्न अनुसंधान विस्तार वृत्तों में जाकर, प्रचलित अनुसंधान परियोजनाओं में तकनीकि मार्गदर्षन दिया जा रहा है।

मुख्य गतिविधियाँ

वर्ष 2017–18 के दौरान संस्थान की अनुसंधान गतिविधियाँ अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से वन विभाग के क्षेत्रीय स्तर पर वन प्रबंधन में सहयोग प्रदान करने हेतु विभिन्न विषयों पर केन्द्रित रही है। इनमें से कुछ प्रमुख विषय निम्नानुसार हैः–

- मध्यप्रदेश के विभिन्न वनों में स्थित नमूना भूखण्डों (sample plots) में सागौन, साल एवं अन्य प्रजातियों की वृद्धि का अध्ययन।
- उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से महत्वपूर्ण आरईटी और जंगली औषधीय पेड़ प्रजातियों के गुणवत्ता रोपण स्टॉक का उत्पादन।
- मध्यप्रदेश में साल बोरर प्रभावित क्षेत्रों में साल पुर्नउत्पादन का अध्ययन।
- मध्यप्रदेश के विंध्य क्षेत्र के रातापानी खिवनी परिदृश्य में बाघ की उपस्थिति एवं विचरण का अध्ययन।
- मध्यप्रदेश में नील गाय की जनसंख्या अनुमान तकनीक का मानिकीकरण।
- मध्यप्रदेश में सागौन तथा बीजा की विशेष संदर्भ में लकड़ी की उत्पत्ति के लिए फोरेंसिक डीएनए प्रोफाइलिंग और लकड़ी के स्त्रोतों का अध्ययन।
- मध्यप्रदेश के प्राकृतिक गौंद एवं राल उपज देने वाले पौधों संबंधी जानकारी का दस्तावेजीकरण।

- मध्यप्रदेश के कुनो–पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के लिये सतत आजीविका आधारित प्रबंधन योजना।
- पश्चिमी मध्यप्रदेश में ग्रीन इंडिया मिशन (जी आई एम) के तहत ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिये नर्सरी तकनीक, वृक्षारोपण और विकास के आधार पर उपयुक्त प्रजातियों का चयन।
- सरदार सरोवर परियोजना मध्यप्रदेश के आस–पास के क्षेत्रों में वन्यजीवन आवास सुधार की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना ।
- उच्च तकनीक नर्सरी का विकास और प्राकृतिक वन और ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण के माध्यम से उनकी बहाली के लिये संकटाग्रस्त एवं लुप्तप्राय प्रजातियों की गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री की तैयारी।
- एस एफ आर आई जबलपुर में उगने वाली मदर वेड तकनीक का विकास और नीलगिरी के क्लोनल पौधों का वृहद पैमाने पर गुणन ।
- मध्यप्रदेश में स्थित नमूना भूखण्डों के रिकार्ड के कम्प्यूटरीकरण और डिजीटलाइज़ेंशन।
- मध्यप्रदेश में लकड़ी की मांग और आपूर्ति का अनुमान ।
- मध्यप्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों में वन्यप्राणी तथा उनके रहवास की सतत् प्रबंधन एवं विकास हेतु निगरानी एवं अनुश्रवण।
- सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य, मध्यप्रदेश के खाली कराये गये गांवो के क्षेत्रों में वन्यजीव आवास सुधार में प्रबंधन योजना का निर्माण ।
- महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों की आयतन उपज तालिका तैयार करना ।
- जैव प्रौद्योगिकी तकनीक से संकटापन्न औषधीय पौध प्रजातियों के सक्रीय जैविक तत्वों को ज्ञात कर उनकी वृद्धि की तकनीकों का मानकीकरण।
- विभिन्न वानिकी प्रजातियों के उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों का एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, परीक्षण तथा प्रमाणीकरण एवं वितरण।
- मध्यप्रदेश वन विभाग अभिकरण द्वारा विभिन्न वन विकास अभिकरणों में वित्तीय वर्ष 2012–13 के वर्षा ऋतु में हुए वृक्षारोपण कार्यों का अनुश्रवण मूल्यांकन।
- मध्यप्रदेश में वन अधिकार अधिनियम – 2006 लागू होने के उपरांत अनुसूचित जनजाति तथा पारंपरिक वन निवासियों पर प्रभाव का आंकलन।
- मध्यप्रदेश के होशंगाबाद वनवृत्त में वन्यप्राणियों द्वारा फसलों को हानि पहुँचाने तथा इसके प्रबंधन पर अध्ययन।
- मध्यप्रदेश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों एवं बाघ संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन का पर्यावरण, पारिस्थितिकीय एवं सामाजिक आर्थिक पहलू पर प्रभाव पर अध्ययन।

अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति

वर्ष के दौरान संस्थान में चल रहीं अनुसंधान परियोजनाओं में से 14 परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया, 41 परियोजनाऐं एवं 14 नियमित गतिविधियां प्रचलित हैं तथा 19 नवीन परियोजनायें प्रारंभ की गई।

अनुश्रवण और मूल्यांकन

संस्थान द्वारा निम्न अनुश्रवण और मूल्यांकन कार्य लिये गये हैं :–

- मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा वर्षा आधारित सागौन वृक्षारोपण के विभिन्न मॉडलों में अंतिम पातन एवं लागत के अनुपात में सर्वोत्तम आय प्राप्त करने हेतु इष्टतम आयु के निर्धारण के लिए आर्थिक सर्वेक्षण।
- मध्यप्रदेश में संरक्षित तथा असंरक्षित वनक्षेत्रों में वन्यप्राणी एवं उनके रहवास के सतत् प्रबंधन एवं विकास हेतु अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।
- मध्यप्रदेश के विभिन्न वनमण्डलों में Tissueculture के बांस प्रजाति Dendrocalamus asper के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।
- जबलपुर वन वृत्त, मध्यप्रदेश में आजीविका के स्त्रोतों के विकास के लिए जनसंख्या घनत्व और औषधीय पौधों के मात्रात्मक मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण।
- वन विकास एजेंसियों के जरिए लागू राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम का मूल्यांकन।
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों (वन अधिकार अधिनियम की मान्यता) 2006 कार्यान्वयन और मध्यप्रदेश में इसके प्रभाव।
- लाख के कीटों का आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण हेतु नेटवर्क परियोजना।

प्रषिक्षण कार्यक्रम

संस्थान द्वारा प्रशिक्षण सह कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इनमें से मुख्य कार्यशालायें निम्नानुसार है :–

- मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में विभिन्न वन्य जीव की जनसंख्या निगरानी की तकनीक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- जलवायु परिवर्तन और अनुकूलन और निराकरण के लिए समुदायों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन।
- महुआ फूल एवं सलई गोंद संबंधी प्रशिक्षण
- संयुक्त वन प्रबंधन समिति द्वारा अकाष्ठीय वनोपजो का प्राकृतिक वन क्षेत्रो में सतत् विदोहन पद्धति का निर्धारण एवं प्रबंधन तकनीक का प्रशिक्षण।
- विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु पौध जैव प्रौद्योगिकी, ऊतक संवर्धन तथा वन अनुवांशिकी विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- वानिकी अनुसंधान द्वारा विकसित तकनीकों का प्रयोगशाला में जमीनी स्तर पर ले जाने हेतु से फील्ड फॉरेस्टर, वन आश्रित समुदायों और संसाधन व्यक्तियों का ज्ञान उन्नयन और कौशल विकास।
- औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती प्रसंस्करण और विपणन में प्रशिक्षण सह प्रदर्शन कार्यक्रम।
- बीज उद्यानों और बीज उत्पादन क्षेत्रों के रखरखाव में वन विभाग के कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण।
- प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल एवं वनरक्षकों का वानिकी अनुसंधान के विभिन्न आयामों से परिचय हेतु शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन।

प्रकाशन तथा अन्य गतिविधियाँ

संस्थान द्वारा त्रैमासिक पत्रिकाओं 'वानिकी संदेष' तथा 'वन–धन' का प्रकाशन भी किया जाता है। समय–समय पर अनुसंधान द्वारा विकसित तकनीकों के प्रचार–प्रसार हेतु पुस्तक, तकनीकी बुलेटिन, ब्रोशर एवं पेम्पलेट्स का प्रकाशन किया जाता है। संस्थान के नवीन प्रकाशन निम्नानुसार हैंः–

- साल वृक्षों की मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन एवं उनके रोकथाम के उपाय।
- आर्थिक महत्व की प्रजातियों बीजा, धावड़ा एवं अचार में होने वाले रोगों का समेकित प्रबंधन एवं तकनीक।
- महुआ प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन मार्गदर्शिका।
- सलई वृक्ष में वैज्ञानिक विधि से टैपिंग तकनीक, सतत् विनाशविहीन विदोहन, प्राथमिक प्रसंस्करण एवं भंडारण विधि मार्गदर्शिका।
- मध्यप्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख गोदों की विदोहन एवं विदोहनोत्तर तकनीक।
- वृहत् स्तर पर पौधा रोपण कैसे करें।
- जैविक खाद एवं नीम खली वानिकी प्रजातियों के पौधों की वृद्धि में लाभदायक।
- कृषि वानिकी पद्धति के अंतर्गत गेहूँ के साथ क्लोनल यूकेलिप्टस रोपण : लागत एवं आय।
- कट रूट स्टाक विधि : लेन्टाना उन्मूलन की नई तकनीक।
- बाघ, सह–परभक्षी, चौपायों एवं उनके वासस्थल का अनुश्रवण हेतु मार्गदर्शिका।
- हमारी कंद संपदा : मध्यप्रदेश में पायी जाने वाली कंद प्रजातियों की पहचान एवं विवरण।
- प्रशिक्षण तथा संगोष्ठियों के माध्यम से हितग्राहियों को नवीन वानिकी अनुसंधान तकनीकों का क्षेत्रीय स्तर पर हस्तांतरण।

संस्थान द्वारा प्रदत्त सेवाएँ

संस्थान द्वारा विभिन्न अनुसंधान सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं। इनमें से मुख्यतः निम्नानुसार हैंः–

- कृषकों, उद्यमियों, छात्रों एवं वन विभागीय अमलें को औषधीय पौधों की कृषि तकनीक, उनके सतत् विदोहन, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, मूल्य संवर्धन, क्षमता विकास, ऊतक संवर्धन (Tissue culture), बीज तकनीक, वृक्ष सुधार, मृदा परीक्षण, हरबेरियम एवं रोपणी विकसित करने संबंधी जानकारी प्रदाय करना।
- वृक्षारोपण एवं कृषि तकनीक।
- अकाष्ठीय वनोपजों के बाजार की जानकारी का प्रचार–प्रसार।
- पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का निर्माण।
- वन संसाधन का आंकलन।
- उत्पादन एवं आयतन तालिका का निर्माण।
- जैवविविधता एवं वनस्पति का मूल्यांकन।

- वन्यजीव तथा काष्ठ के नमूनों का फोरेन्सिक अध्ययन।
- वन्यजीव प्रबंधन में अनुसंधान तकनीकों द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण हेतु तकनीकी जानकारी।
- विभिन्न कृषि वानिकी पद्धतियों का अध्ययन, सामाजिक आर्थिक विश्लेषण तथा विस्तार।
- बीज प्रमाणीकरण।
- संस्थान में स्थापित मृदा प्रयोगशाला तथा क्षेत्रीय स्तर पर चलित मृदा प्रयोगशाला द्वारा मृदा परिक्षण की सुविधा।
- उत्तम गुणवत्ता के बीजों एवं रोपण सामग्री का प्रदाय।
- तकनीकी मैन्युअल एवं प्रचार प्रसार हेतु पठन सामग्री इत्यादि तैयार करना।

संस्थान की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

इस वित्तीय वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की गई।

1. जलवायु सक्षम ग्राम विकसित करने हेतु संस्थान में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन

राज्य वन अनुसंधान जबलपुर के जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा संचालित एवं मध्यप्रदेश वन विभाग के अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी कक्ष द्वारा प्रायोजित अनुसंधान परियोजना "Climate Change and its impact on forest and the livelihood of people in Damoh District" के अंतर्गत दिनांक 18.09.2017 को संस्थान दमोह जिले के इमलीडोल, बगदरी, तेंदूखेड़ा ग्राम के कृषकों एवं ग्राम वन समितियों के सदस्यों को "जलवायु–सक्षम (climate smart) ग्राम विकसित करना" विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

"जलवायु परिवर्तन तथा अनूकूलन एवं निम्नीकरण में समुदायों की भूमिका" पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

इमलीडोल गांव दमोह जिला म.प्र. के ग्रामीणों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार वितरण

संगोष्ठी में पांच राज्यों के वैज्ञानिकों एवं शोधार्थियों ने भाग लेकर विभिन्न तकनीकी सत्रों में जलवायु परिवर्तन से संबंधित 60 शोध पत्रों एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित पोस्टर प्रस्तुतीकरण किया गया।

संगोष्ठी के शोधपत्रों की संकलन पुस्तिका का विमोचन

संगोष्ठी के प्रतिभागियों का समूह चित्र

3. कार्बन जब्तीकरण पर अध्ययन :

संस्थान द्वारा मध्यप्रदेश के 25 विभिन्न वन क्षेत्रों में स्थित 39 परिरक्षित भूखण्डों (Preservation Plots) में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव एवं इससे अनुकूलन एवं न्यूनीकरण (Adaptation and Mitigation) अवधारणा तथा न्यूनीकरण अवधारणा के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन रोकने में विभिन्न प्रजाति के वृक्षों की भूमिका एवं एक ही प्रजाति के वृक्षों द्वारा अलग–अलग क्षेत्रों में कार्बन डाई ऑक्साइड के जब्तीकरण में भूमिका का अध्ययन कार्य किया जा रहा है।

परिरक्षित भूखण्ड, पन्ना (हिनौता) एवं नरसिंहपुर (गाडरवारा) में कार्बन जब्तीकरण का अध्ययन

4. अखिल भारतीय बाघ गणना 2018 पर कार्यशाला ।

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के वन्यप्राणी शाखा द्वारा दिनांक 30 दिसंबर 2017 को अखिल भारतीय बाघ गणना 2018 पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला में अखिल भारतीय बाघ गणना 2018 में उपयोग किये जाने वाले उपकरण एवं शाकाहारी प्राणियों की गणना, मांसाहारी प्राणियों के सर्वेक्षण की पद्धति एवं सर्वेक्षण के डाटा को इकोलॉजिकल एन्ड्राइड एप के उपयोग से भरे जाने की तकनीक, फेस 1 की डाटा कलेक्शन तथा केमरा ट्रेप से एकत्रित डाटा को साफटवेयर द्वारा उपयोग करने की जानकारी प्रदाय की गई ।

कार्यशाला में संस्थान द्वारा प्रकाशित तकनीकी बुलेटिन का विमोचन एवं मुख्य अतिथि द्वारा उद्‌बोधन

5. नील गायों की गणना पद्धति मानकीकरण करने हेतु वन विहार में अनुसंधान

मानकीकरण द्वारा नील गायों की सर्वाधिक उपयुक्त गणना पद्धति विधि ज्ञात करने हेतु राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा वन विहार में अनुसंधान किया जा रहा है। दिनांक .17 11.2017 को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में नील गायों की गणना ग्रिडवार कंपलीट काउंट विधि द्वारा की गई। वन विहार के लगभग 405 हेक्टेयर के खुले क्षेत्र में उपस्थित नील गायों की कंपलीट काउंट विधि द्वारा प्राप्त वास्तविक संख्या को मानक मानते हुये अन्य गणना विधियाँ जैसे रोड ट्रांन्ज़ैक्ट, विहिकुलर ट्रांन्ज़ैक्ट एवं लाइन ट्रांन्ज़ैक्ट की गुणकारिता का तुल्नात्मक अध्ययन किया गया है।

वन विहार भोपाल में नील गायों की गणना पद्धति मानकीकरण पर अध्ययन।

6. राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर का वन संग्रहालय "अरण्य विथिका" का लोकार्पण

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर का नवीनीकृत वन संग्रहालय "अरण्य विथिका" का लोकार्पण दिनांक 24.02.2018 को किया गया। संग्रहालय में वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों/विद्यार्थियों/आम जनता को वन अनुसंधान एवं वन पारिस्थिकीय से अवगत कराने हेतु मॉडल एवं पोस्टर के माध्यम से प्रयास किया गया है। संग्रहालय में वनों की भू–परिस्थितकीय तंत्र में विभिन्न पशुओं की भोजन श्रृंखला में भूमिका, परागण में सहायक मधुमक्खी एवं पक्षियों की भूमिका, मध्यप्रदेश के राज्य पषु 'बारहसिंगा' के नर एवं मादा के प्रतिरुप को प्रदर्शित है।

अरण्य विथिका में प्रशिक्षु वन अधिकारी द्वारा शैक्षणिक भ्रमण

7. राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, नई दिल्ली का क्षेत्रीय सह सुविधा केन्द्र (Regional Cum Facilitation Center) Central Region Madhya Pradesh & Chhattisgarh का लोकार्पण हेतु कार्यशाला का आयोजन

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में दिनांक 18/05/2018 को संस्थान के सभागार में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, नई दिल्ली का औषधीय पौधों से संबंधित क्षेत्रीय सह सुविधा केन्द्र का लोकार्पण कार्यशाला आयोजित की गई।

औषधीय पौधों की क्षेत्रीय सह सुविधा केन्द्र राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के माध्यम से अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा। यह केन्द्र मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाने वाली औषधीय पौधों के संरक्षण और संवर्धन के लिए बेहतर समन्वय स्थापित होगा। इस केन्द्र में औषधीय पौधों की खेती का तकनीकी प्रशिक्षण औषधीय उत्पाद का उचित बाजार मूल्य एवं शोध आदि के कार्य किये जाएँगे।

क्षेत्रीय सह सुविधा केन्द्र, मध्यक्षेत्र, जबलपुर का लोकार्पण हेतु कार्यशाला का आयोजन

1.8 मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का गठन

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 63 (1) के अनुसार राज्य षासन द्वारा मध्य प्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 दिनांक .17 12.2004 को अधिसूचित किये गये। जिसके अंतर्गत राज्य शासन की अधिसूचना 11 अप्रैल 2005 अनुसार मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का गठन किया गया।

बोर्ड की मुख्य भूमिका जैवविविधता का संरक्षण, उसके संघटकों का पोषणीय उपयोग तथा जैविक स्त्रोतों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत लाभ का उचित और साम्यापूर्ण प्रभाजन सुनिश्चित करना है।

1.8.1 जैवविविधता बोर्ड का संचालक मण्डल

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 11.04.2005 अनुसार मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड गठित किया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष, पदेन सदस्यगण एवं अशासकीय (राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 24.11.2016 एवं 08.02.2017 अनुसार) सदस्यगण परिशिष्ट – 1 अनुसार हैं।

बोर्ड का कोई संभागीय/जिला/तहसील/विकासखंड कार्यालय नहीं है।

1.8.2 जैवविविधता बोर्ड की बैठक

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की 14वीं बोर्ड बैठक अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 26.02.2018 को सम्पन्न हुई।

1.8.3 जैवविविधता बोर्ड का उद्देश्य

जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 23 एवं मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 14 के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का उद्देश्य निम्नानुसार है –

अ. जैवविविधता का संरक्षण,

ब. जैवविविधता के संघटकों का संवहनीय (पोषणीय) उपयोग तथा

स. जैव संसाधनों और ज्ञान के वाणिज्यिक (व्यापारत्मक) उपयोग से उद्भूत लाभ का उचित और साम्यपूर्ण प्रभाजन।

1.8.4 वित्तय वर्ष 2018–19 में जैवविविधता बोर्ड द्वारा उद्देश्य पूर्ति हेतु संचालित गतिविधियां/कार्य

1. जैवविविधता का संरक्षण

- **मध्यप्रदेश जैवविविधता विरासत स्थल** – जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 एवं मध्यप्रदेष राज्य जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 22 के अनुसार जैवविविधता बाहुल्य क्षेत्र को जैवविविधता विरासत स्थल घोषित करने का प्रावधान है। इस दिषा में पातालाकोट जिला–छिंदवाड़ा, नरो हिल्स, जिला–सतना तथा अमरकंटक, जिला–अनुपपुर को जैवविविधता विरासत स्थल घोषित किये जाने हेतु चिन्हित किया गया है। इस संबंध में प्रस्ताव पूर्ण कर शासन द्वारा अधिसूचना की कार्यवाही प्रचलन में है।

- **लोक जैवविविधता पंजी** – इस दस्तावेज में पंचायत में विद्यमान सभी जैव संसाधनों, स्थानीय संस्कृति, बाजार इत्यादि की जानकारी होती है, जो कि जैवविविधता प्रबंधन समिति एवं मास्टर ट्रेनर्स के सहयोग से बनाई जाती है। इसके अंतर्गत बोर्ड द्वारा अद्यतन 890 लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण किया गया है।

- **पी.पी.व्ही.एफ.आर.ए.में पंजीयन** – जैवविविधता प्रबंधन समिति, पिथौराबाद जिला सतना द्वारा स्थानीय कृषकों के माध्यम से विगत कई वर्षों से धान एवं कृषि की अन्य पारंपरिक किस्मों का संरक्षण किया जा रहा है। मध्यप्रदेष राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा कृषकों द्वारा उगाई जा रही पारंपरिक किस्मों का संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य को पहचान दिलाने के उद्देष्य से भारत सरकार की संस्था पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (Protection of Plant Varieties and Farmer's Rights Authority) नई दिल्ली में कुल 86 पारंपरिक बीजों का पंजीयन करवाया गया है।

- **जैवविविधता संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित परियोजनायें** – मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा जैवविविधता से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर शोध एवं दस्तावेजीकरण परियोजना शोध संस्थाओं, महाविद्यालयों एवं अषासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित की जाती है। वर्ष 2017–18 में कुल 21 परियोजनायें संचालित की जा रही हैं।

- **मुर्गे की स्थानीय नस्ल 'कड़कनाथ' को जी.आई. टेग**– मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 14 में वर्णित बोर्ड के साधारण कृत्यों में शासन को जैवविविधता संरक्षण से संबंधित विषयों पर सलाह देना सम्मिलित है। इस दिशा में मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की सलाह से मध्यप्रदेश की विशिष्ट मुर्गी की प्रजाति कड़कनाथ के लिए Geographical Indication का दर्जा प्राप्त किया गया।

- **बीज नायक सम्मेलन** – प्रदेश में पारंपरिक बीजों के संरक्षण हेतु आगामी रणनीति तैयार करने के उद्देष्य से इन बीज नायको, जिला समन्वयकों एवं मास्टर ट्रेनर्स की कार्यशाला का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 18 जिलों से 40 बीज नायक, सम्मिलित हुये। मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा दिनांक 02 जून 2018 को भोपाल में बीज नायक सम्मेलन का आयोजन किया गया। उल्लेखित है कि बोर्ड द्वारा 2 मई 2017 से 5 जुलाई 2017 की अवधि में ''बीज बचाओ–कृषि बचाओ'' यात्रा में प्रदेश के 39 जिलों में बीज नायको की पहचान की गई थी।

- **''माटीं गणेश–बीज गणेश–सजीव गणेश''** कार्यक्रम के अंतर्गत मिट्टी से गणेश प्रतिमा बनाने एवं उसमें फलदार पौधो के बीजों को रोपित कर ''माटी गणेश–बीज गणेश–सजीव गणेश'' की अवधारणा को प्रसारित करने के उद्देष्य से शासकीय/अशासकीय शैक्षणिक संस्थान, स्वयं सेवी संस्थान/निजी संस्थान, रहवासी समितिया/गणेश मण्डल पंडाल, व्यक्ति विशेष एवं जैवविविधिता प्रबंधन समितियों के सहयोग से दिनांक 30.08.2018 से 11.09.2018 तक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 14 प्रशिक्षण संस्थानों/प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न स्थानों पर 138 प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से 24729 प्रशिणाथियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिणार्थी द्वारा प्रशिक्षण की अवधि में 6470 बीज गणेश मूतियों का निर्माण किया गया।

1.8.5 जैव संसाधनों तक पहुंच एवम् लाभ प्रभाजन (Access And Benefit Sharing)

जैवविविधता अधिनियम, 2002 एवं जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014 तथा मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश के जैवसंसाधनों का व्यापारिक (वाणिज्यक) उपयोग करने वाले भारतीय व्यापारी व निर्माताओं को धारा 7

के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड (एम.पी.एस.बी.बी.) से अनुमति लेना अनिवार्य है। इस दिशा में बोर्ड की उपलब्धियॉ निम्नानुसार हैं :–

- मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड में जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 7 के अंतर्गत जैव संसाधनों का व्यवसायिक उपयोग करने वाले व्यापारियों एवं निर्माताओं से प्राप्त आवेदनों (फार्म–1) के निपटान एवं लाभ प्रभाजन की सम्पूर्ण प्रक्रिया संपादित करने हेतु जैव संसाधनों तक पहुंच एवं लाभ प्रभाजन प्रकोष्ठ (Biodiversity A ccess and Benefit Sharing Cell) का गठन किया गया।
- जैव संसाधनों का व्यापारिक (वाणिज्यक) उपयोग करने वाले भारतीय व्यापारी व निर्माताओं को जैवविविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधान अंतर्गत बोर्ड को पूर्व सूचना देने के संबंध में जागरूकता हेतु समाचार पत्रों में सूचना पत्र का प्रकाशन किया गया।
- बोर्ड द्वारा किये गये अनुबंध एवं एकत्रित लाभ प्रभाजन की राशि –

  जैव संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बटाना विनियम 2014 के नियम–3, अनुसार जैव संसाधनों के उपयोग हेतु बोर्ड द्वारा वर्ष 2018–19 में व्यापारियों/विर्निमाताओं से कुल 73 अनुबंध कर राशि रू 11,57,595/- (अठरह लाख छ हज़ार पांच सौ त्रितालीस मात्र) लाभ प्रभाजन राशि की प्राप्ति हुई है। (नंवबर 2018 की स्थिति में)

1.8.6 **प्रशिक्षण एवं जागरुकता** – जन मानस में जैवविविधता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के दृष्टिकोण से निम्नानुसार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है –

क्र.	कार्यक्रम	उद्देश्य	लाभान्वित वर्ग
अ. प्रशिक्षण एवं कार्यशाला			
1	**मध्यप्रदेश जैवविविधता रणनीति व कार्य योजना 2018–2030**	जैवविविधता से संबंधित क्षेत्रीय मुद्दों पर क्षेत्रवार जानकारी और सुझाव एकत्रित करना।	1. माह जुलाई 2018 से अगस्त 2018 तक प्रदेश के 6 संभागों (जबलपुर, सागर, रीवा, ग्वालियर, उज्जैन एवं इंदौर) में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। 2. संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में जिला अध्यक्षों, जिले के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों जैसे कि वन, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ग्रामीण विकास, उद्यानिकी, जिला पंचायत, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जनजातीय विकास, सिंचाई, एनजीओ, और एनजीआई के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया।
2	**जैवसंसाधनों तक पहुंच एवं लाभ प्रभाजन**	मध्यप्रदेश शासन द्वारा समस्त क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक/वन मण्डलाधिकारी को मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का पदेन अधिकारी घोषित किये जाने के क्रम में उनके कर्तव्य एवं कार्य प्रणाली से अवगत कराना।	1. दिनांक 03.11.2018 से 20.11.18 की अवधि में जबलपुर, रीवा, भोपाल, शिवपुरी एवं उज्जैन वन वृत्त स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किये गये। 2. प्रशिक्षण में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं समस्त क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी, टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक, उप संचालक (बफर जोन हेतु) व वन विकास

			निगम के डिविजनल मैनेजर, डी. एफ.ओ. के सहायक वन संरक्षक तथा भविष्य में वनमण्डल कार्यालय में इस कार्य को संपादित करने लिपिकीय कर्मचारी को प्रषिक्षण प्रदान किया गया।
ब. जागरूकता कार्यक्रम			
1.	अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस	अन्तर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस 22 मई 2018 हेतु विषय–वस्तु "Celebrating 25 Years of Action for Biodiversity पर 22 मई को प्रदेश के सभी जिलों में जैवविविधता दिवस पर कार्यक्रम (गोष्ठी, सेमीनार, कार्यशाला) आयोजन किया गया।	1. भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम एवं मैदानी स्तर पर वन क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2. कार्यक्रम में प्रदेश की जैवविविधता प्रबंधन समितियों के पदाधिकारीगण एवं बोर्ड के मास्टर ट्रेनर, जैवदूत तथा विषय–विशेषज्ञों द्वारा सक्रिय रूप से भाग लिया।
2.	प्रकाशन एवं लघु फिल्म	''जैवविविधता'' न्यूज लेटर, जैवविविधता विषयक साहित्य, लघु फिल्म इत्यादि का प्रकाशन	छात्र–छात्राओं, बी.एम.सी. सदस्यों, मैदानी अमले हेतु प्रकाशन।
3..	वन्य प्राणी सप्ताह	छात्र–छात्राओं में जागरूकता हेतु	1. वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में प्रदर्शनी एवं वाक–इन जैवविविधता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र–छात्राओं एवं जन सामान्य द्वारा भाग लिया गया। 2. रीजनल सांइस सेन्टर की सहभागिता से स्कूली छात्र–छात्राओं हेतु चित्रकला एवं प्रष्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

1.8.7 अन्य उपलब्धियॉ

1. जैवविविधता प्रबंधन समिति, पिथौराबाद को राष्ट्रीय पुरुस्कार–

भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण एवं यू.एन.डी.पी. के संयुक्त तत्वाधान में जैवविविधता संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य कर रहे व्यक्तियों, समुदायों, संस्थाओं को प्रोत्साहन देने एवं उनके योगदान को सम्मानित करने के उददेष्य से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जैवविविधता पुरस्कार (India Biodiversity Award) दिये जाते हैं। इस वर्ष हमारे प्रदेश की जैव विविधता प्रबंधन समिति, पिथौराबाद, जिला सतना, को श्रेष्ठ जैवविविधता प्रबंधन समिति चुना गया। समिति द्वारा सामुदायिक बीज बैंक के माध्यम से कृषि की पारंपरिक किस्मों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु किये जा रहे

उत्कृष्ट कार्यों हेतु यह पुरस्कार दिया गया है। 22 मई 2018 को अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस के उपलक्ष में हैदराबाद में समिति के अध्यक्ष श्री बाबूलाल दाहिया द्वारा श्रेष्ठ जैवविविधता प्रबंधन समिति का पुरूस्कार स्वरूप राशि रू. 1.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र प्रदाय किया गया।

इंडिया बायोडावर्सिटी अवार्ड प्राप्त करते हुये जैवविविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री बाबूलाल दाहिया

1.8.8 बजट प्रावधान

मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड को वित्त वर्ष 2018–19 में निम्नानुसार बजट अनुदान शासन द्वारा प्रावधानित किया गया है:–

क्र.	बजट शीर्ष	प्रावधान राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि (दि. 29.11.18)
1.	7672–जैवविविधता एवं जैवप्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजनाओं का पोषण	100.00 लाख	40.00 लाख	41.00 लाख
2.	7856 – जैवविविधता बोर्ड से संबंधित व्यय	386.10 लाख	167.31 लाख	149.12 लाख
	योग	**486.10 लाख**	**207.31 लाख**	**191.00 लाख**

1.8.9 अभिनव योजना

1. **जैवविविधता अधिनियम, 2002 अन्तर्गत** – जैव संसाधनों तक पहुंच एवं लाभ प्रभाजन (Access and Benefit Sharing) हेतु नई व्यवस्था –

अ. मध्यप्रदेश शासन का राजपत्र क्रमांक 38 दिनांक 21-09-18 अनुसार समस्त क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को अपने कार्यक्षेत्र में संयुक्त सदस्य सचिव, जैवविविधता बोर्ड एवं समस्त क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी को अपने कार्यक्षेत्र में सहायक सदस्य सचिव, जैवविविधता बोर्ड घोषित किया गया।

ब. समस्त क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी को अपने कार्यक्षेत्र में जैवविविधता अधिनियम 2002, मध्यप्रदेश जैवविविता नियम, 2004 तथा विनियम, 2014 के तहत जैव संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग करने वाले व्यापारियों से लाभ प्रभाजन हेतु मध्यप्रदेश जैवविविधता

नियम, 2004 के नियम 17 (4) के अंतर्गत अनुबंध कर Grant of Approval दिये जाने का अधिकार दिये गये है।

2. **मध्यप्रदेश** जैवविविधता **रणनीति व कार्ययोजना 2018–30 का निर्माण** – मध्यप्रदेश की जैवविविधता रणनीति कार्ययोजना का निर्माण वर्ष 2002 में किया गया था। उक्त कार्ययोजना को पुनरीक्षित करने का कार्य मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में बोर्ड एवं यूएनडीपी इंडिया के संयुक्त प्रयासों से मध्यप्रदेश जैवविविधता रणनीति व कार्ययोजना 2018–30 का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

1.8.10 राज्य स्तरीय जैवविविधता पुरस्कार योजना

जैवविविधता संरक्षण को प्रोत्साहन देने एवं इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य कर रहे व्यक्ति, अशासकीय संस्थान, जैवविविधता स्वामित्व रखने वाले शासकीय विभागों (वन, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन एव जल संसाधन) को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा **राज्य स्तरीय वार्षिक जैवविविधता पुरस्कार योजना** वर्ष 2018 से प्रारंभ की गई है। इन पुस्कारों का वितरण अन्तर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष 22 मई को किया जायेगा। इस वर्ष 22 मई 2018 को आयोजित राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस कार्यक्रम में मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों में जैवविविधता पुरस्कार प्रदान किये गये।

श्रेणी	पुरस्कार	पुरस्कार राशि	विजेता का नाम
शासकीय संस्थागत	द्वितीय	प्रशस्ती पत्र एवं ट्राफी	सामान्य वन मंडल बड़वाह, जिला खरगौन
जैवविविधता प्रबंधन समिति (ग्राम पंचायत स्तर की)	तृतीय	1.00 लाख	जैवविविधता प्रबंधन समिति, ग्राम पंचायत मटकुली, जिला होशंगाबाद
अशासकीय संस्थागत	प्रथम	1.00 लाख	आस्था ग्राम ट्रस्ट, खरगौन
	द्वितीय	2.00 लाख	सुजाग्रति समाज सेवी संस्था, मुरैना (म.प्र.)
व्यक्तिगत	प्रथम	3.00 लाख	पं उदित नारायण शर्मा, छिंदवाड़ा
	द्वितीय	2.00 लाख	डॉ. डी.पी. कनौजिया, भोपाल

1.8.11 प्रकाशन

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा समस्त क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी को मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का पदेन अधिकारी घोषित तथा लाभ प्रभाजन के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार के संबंध में पुस्तक ''जैवसंसाधनों तक पहुँच व लाभ प्रभाजन दिशानिर्देश'' का प्रकाशन किया गया।
2. जैवविविधता के महत्व एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैवविविधता संरक्षण संबंधी मुद्दों के प्रति जन मानस में संवेदनशीलता विकसित करने के उद्देष्य से 80 मिनिट की डाक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया गया।

मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के शासकीय एवं अशासकीय सदस्यो का विवरण परिशिष्ट क्रमांक–17 मे दिया गया है।

1.9 मध्य प्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड

- मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड म.प्र.शासन के वन विभाग के अंतर्गत एक स्वशासी संस्था है, जिसका गठन 12.07.2005 को म.प्र.सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के अंतर्गत किया गया था। बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की वन नीति 2005 की कंडिका 3.16 ईकोपर्यटन नीति निर्देशों के अनुसार ईकोपर्यटन गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है।

- म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड के गतिविधियों के संचालन हेतु राज्य शासन के बजट मद 5830 से अनुदान, राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्यों की विकास निधि से 10 प्रतिशत राशि, म.प्र.राज्य वन विकास निगम, म.प्र.राज्य लघुवनोपज संघ, कैम्पा एवं अन्य स्त्रोतों से वित्तीय संसाधन प्राप्त होते हैं।

  वित्तीय वर्ष 2018–19 मे अभी तक विभिन्न स्त्रोतों से बोर्ड को निम्नानुसार वित्तीय संसाधन प्राप्त हुए हैं जिसका **विवरण तालिका क्रमांक1.58** मे दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.58

अनु.क्र	स्त्रोत	माह मार्च 2019 तक प्राप्त राशि (रू. लाख में)
1.	राज्य शासन से बजट मद 5830 से बोर्ड को अनुदान	900.00
2.	राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्यों की विकास निधि से प्राप्त राशि	406.61
3.	अन्य स्त्रोतों से प्राप्त राशि	153.36
	योग :–	**1459.97**

- **बोर्ड की प्रमुख गतिविधियॉ निम्नानुसार हैं :–**

  अ. ईकोपर्यटन गंतव्य स्थलों की पहचान एवं विकास

  ब. टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में ईकोपर्यटन विकास

  स. जागरूकता कार्यक्रम

  द. प्रशिक्षण सह क्षमता विकास

उक्त गतिविधियों में किये गये प्रमुख कार्यो का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

अ. ईकोपर्यटन गंतव्य स्थल का विकास : म.प्र.राज्य द्वारा ईकोपर्यटन गंतव्य स्थलों के विकास हेतु अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी, 2016 द्वारा म.प्र.वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 अधिसूचित किये गये हैं। इन नियमों का प्रमुख उद्देश्य आरक्षित वनों में ईकोपर्यटन की संभावनाओं वाले वन क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें मनोरंजन क्षेत्र/वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाना है, ताकि क्रमबद्ध रूप से इन क्षेत्रों में ईकोपर्यटन की आधारभूत संरचनायें विकसित की जा सकें। उक्त नियमों की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त माह अक्टूबर 2018 तक कुल 147 स्थल चिन्हित किये जाकर 119 स्थल उक्त नियम के तहत मनोरंजन/वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किये जा चुके हैं। उक्त अधिसूचित क्षेत्रों में से 55 क्षेत्रों को ईकोपर्यटन गंतव्य

स्थल के रूप में विकसित करने हेतु योजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं। मनोरंजन/वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्रों के अतिरिक्त 110 गंतव्य स्थलों की स्वीकृति दी गई है, जो आरक्षित वनों एवं संरक्षित क्षेत्रों में सम्मिलित नही है।

ब. टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में ईकोपर्यटन विकास :

म.प्र.राज्य मे टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिये मुख्य आकर्षण का केन्द्र हैं। राज्य के सभी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में पर्यटन के दबाव को कम करने की दृष्टि से इनके बफर क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश के 6 टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र एवं अन्य प्राकृतिक सौन्दर्य के क्षेत्रों में विभिन्न ईकोपर्यटन गतिविधियां प्रारम्भ की गई है। पर्यटक बफर क्षेत्र में प्राकृतिक स्थलों, वन तथा वन्यप्राणी दर्शन एवं व्याख्या के साथ–साथ विभिन्न

ईकोपर्यटन गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। बफर क्षेत्रों में ईकोपर्यटन विकसित होने से पर्यटकों को सफारी भ्रमण, ट्रेकिंग, वन दर्शन, पक्षी दर्शन, तितली दर्शन, कैम्पिंग, हाथी स्नान दर्शन, आदि के अद्वितीय अवसर प्राप्त हो सकेंगे। वर्ष 2016 से वर्ष 2018 में लगभग 1,40,000 से अधिक पर्यटकों के द्वारा बाधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच कान्हा, संजय एवं पन्ना टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में भ्रमण किया गया है। पर्यटको की सुविधा हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. द्वारा बफर क्षेत्र के प्रवेश हेतु भी Online Booking सुविधा प्रारम्भ की जा चुकी है।

स. जागरूकता कार्यक्रम : वन, वन्यप्राणी एवं पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता दर्शाने एवं इस संदेश के समाज में प्रचार–प्रसार हेतु बोर्ड द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। जन सामान्य में वन एवं वन्यप्राणी तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता विकसित करने के संदेश के प्रसार हेतु स्कूली विद्यार्थी प्रभावशाली संवाहक हैं। इसे ध्यान में रखते हुये वन विभाग द्वारा म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड के माध्यम से प्रतिवर्ष **''अनुभूति कार्यक्रम''** का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 5 से 11वीं तक के स्कूली विद्यार्थियों को प्रकृति का व्यवहारिक अनुभव प्रदान कराने हेतु एक दिवसीय कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। इस कैम्प मे विद्यार्थियों को स्थानीय प्राकृतिक सौंदर्य के स्थलों में वन भ्रमण, नेचर ट्रेल भ्रमण एवं अन्य गतिविधियॉ आयोजित कर पारिस्थितिकी के घटकों की व्याख्या, पर्यावरण सरंक्षण, जैव विविधिता, पक्षी दर्शन, वन औषधी एवं वन प्रबंधन की

सामान्य जानकारी एवं अनुभव प्रदान किया जा रहा है। कार्यक्रम की उपयोगिता को देखते हुये, इसे

वृहद रूप देकर प्रदेश के समस्त वनपरिक्षेत्रों में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिससे जिले के सुदूर ग्रामीण अंचलों के ज्यादातर शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकेंगे। इस प्रकार सुदूर आदिवासी अंचल के वन समितियों से जुड़े क्षेत्रों के विद्यार्थी भी लाभाविंत होंगे। वर्ष 2017–18 में इस आयोजन में क्षेत्रीय वनपरिक्षेत्रों के साथ– साथ राष्ट्रीय उद्यान, बफर क्षेत्र एवं अभयारण्य के परिक्षेत्रों को भी कार्यक्रम में शामिल किया जा कर प्रदेश के 465 क्षेत्रीय परिक्षेत्रों में 2735 विद्यालयों के 1,11,068 स्कूली विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया गया

गत वर्ष कार्यक्रम के उत्साहवर्धक परिणामों को देखते हुये वर्ष 2018–19 में भी इसे सतत्रूप से आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 में अनुभूति ''प्रशिक्षण सह जागरूकता शिविरों'' का आयोजन 15 दिसम्बर, 2018 से 15 जनवरी, 2019 की अवधि में आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत क्षेत्रीय एवं वन्यप्राणी वनमंडलों के समस्त परिक्षेत्रों में एक–एक शिविर का आयोजन किया जा रहा। इस वर्ष प्रदेश के कुल 466 परिक्षेत्रों के लगभग 56000 से अधिक स्कूली विद्यार्थियों को लाभाविंत करने का लक्ष्य रखा गया है।

- इस वर्ष अनुभूति कार्यक्रम में उत्प्रेरित एवं इच्छुक वालेंटियर का चयन कर नेचर वालेंटियर फोर्स के रूप में तैयार किया जावेगा। उनका सहयोग वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण, सूचनातंत्र, वन्यप्राणी सप्ताह एवं अन्य वानिकी कार्यक्रमों में किया जाना प्रस्तावित है।

द. क्षमता विकास : ईकोपर्यटन गतिविधियों का मूल उद्देश्य ईकोपर्यटन से स्थानीय समुदाय की आजीविका के अवसर विकसित करना भी है, जिसे ध्यान में रखते हुये स्थानीय नागरिकों को गईड प्रशिक्षण, नाविक प्रशिक्षण, खानसामा प्रशिक्षण, कैम्प प्रबंधन प्रशिक्षण आदि के अंतर्गत अब तक लगभग 730 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

1.10 मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन

1.10.1 म.प्र. राज्य बांस मिशन की स्थापना, उद्देश्य एवं समितियाँ :–

प्रदेश के बांस वनों की उत्पादकता में कमी तथा बांस एवं बांस उत्पादों के विपणन में हो रही कठिनाईयों की दूर करने के लिये राज्य शासन द्वारा दिनांक 3 जुलाई 2013 को म.प्र. राज्य बांस मिशन (सोसायटी) के गठन के आदेश दिये गये। बांस मिशन का एक समिति के रूप में गठन उपरांत दिनांक 15. 07.2013 को मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन पंजीकरण किया गया। सितम्बर 2013 से मिशन द्वारा पृथक से कार्य प्रारंभ किया गया। इसी के साथ प्रदेश में बांस शिल्पियों के मामलो पर सलाह देने हेतु मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन के अंतर्गत 'मध्यप्रदेश बांस एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड' का गठन किया गया।

बांस मिशन के अन्तर्गत वृक्षारोपण

बांस मिशन के अन्तर्गत वृक्षारोपण

बांस की उपयोगिता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन प्रारंभ किया गया था। राज्य बांस मिशन का मुख्य कार्य राष्ट्रीय बांस मिशन के उद्देष्यों की पूर्ति हेतु प्रदेश स्तर पर व्यापारिक एवं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बांस प्रजातियों का विकास एवं उन्नत रोपण सामग्री प्रदाय करना, बांस उत्पादन में वृद्धि हेतु बांस वनों का संवर्धन एवं बांस विदोहन की तकनीक विकसित करना, परम्परागत् बांस शिल्पकारों को नवीन बांस उत्पादों का प्रशिक्षण, डिजाईन एवं निर्माण तथा कौशल उन्नयन करना तथा बांस उत्पादो का विपणन करने के लिये योजना तैयार कर उनको क्रियान्वयन कराना है। म.प्र. राज्य बांस मिशन के कार्यो के समस्त कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन क्षेत्रीय वनमंडलो में गठित वन विकास अभिकरणो के माध्यम से किया जाता है। पुर्नगठित राष्ट्रीय बांस मिशन के नवीन दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य शासन द्वारा वन विकास अभिकरणों को जिला स्तरीय बेम्बू डेवलेपमेंट एजेन्सी का कार्य भी अतिरिक्त रूप से करने हेतु अधिकृत किया गया है।

म.प्र. राज्य बांस मिशन की साधारण सभा के अध्यक्ष म.प्र. शासन के वनमंत्री तथा मिशन संचालक सदस्य सचिव है। मिशन की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव वन तथा मिशन संचालक, सदस्य सचिव है। राज्य शासन द्वारा कार्यकारी समिति को राज्य बांस मिशन के कार्यों के साथ–साथ राष्ट्रीय बांस मिशन के कार्यों के सम्पादन के लिये राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (SLEC) के रूप में कार्य करने हेतु भी अधिकृत किया गया है। वर्तमान में अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक स्तर के अधिकारी मिशन संचालक है।

1.10.2 म.प्र. राज्य बांस मिशन की योजनाएं तथा कार्यक्रम

म.प्र. राज्य बांस मिशन को योजना क्रमांक 7458– राज्य बांस मिषन 42 सहायक अनुदान 007 अन्य के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना में केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में राशि प्राप्त होती है। इस योजना में वर्ष 2017–18 में भारत सरकार द्वारा केवल पूर्व में कराये गये कार्यों के रखरखाव के अतिरिक्त कोई राशि नहीं प्रदाय की गई। राज्य शासन द्वारा भी इसी प्रकार इस मद में केवल केन्द्रांश के समतुल्य राशि ही प्रदाय की गई थी। बांस मिशन की स्थापना एवं कार्यालयीन व्यय के अंर्तगत राज्य शासन द्वारा वर्ष 2017–18 में कोई भी राशि का आवंटन नहीं किया गया।

वर्ष 2018–19 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन का पुर्नगठन कर म.प्र. राज्य बांस मिशन को रू. 3539.0985 लाख की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश का 3:2 का अनुपात है। इस योजना में प्रदेश के बांस क्षेत्र से जुड़े हितधारकों द्वारा भी रू. 2142.75 लाख का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

म.प्र. राज्य बांस मिशन को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के अंर्तगत आजीविका विकास प्रसंस्करण केन्द्र सनौरा, वन मंडल सतना हेतु "Marketing & Post Harvest Facility for Bamboo Trading" कुल 132.77 लाख रू. का आवंटन प्राप्त हुआ था। म.प्र. राज्य लघुवनोपज संघ द्वारा भी वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में बांस उत्पाद निर्माण के लिये कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु रू 19.93 लाख प्रदाय की गई थी।

इसी प्रकार म.प्र. राज्य बांस मिशन द्वारा संचालित तेजी से बढ़ने अधिक उत्पादन देने वाली व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बांस की उन्नत प्रजातियों के विकास हेतु रू. 256.00 लाख की योजना को कैम्पा मद से स्वीकृति प्रदान की गई है। म.प्र. राज्य बांस मिशन द्वारा प्रदेश के बांस क्षेत्र से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन हेतु अन्य स्रोतों से राशि प्राप्त कर इसके उद्देश्यो की पूर्ति की जाती है।

1.10.3 म.प्र. राज्य बांस मिशन द्वारा संचालित कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है –

- व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बांस प्रजातियों का विकास एवं बांस की उन्नत किस्मों का उत्पादन तथा बांस कृषि पद्धति का विस्तार
  - ➢ बांस की विभिन्न प्रजातियों के उन्नत जर्मोप्लाज्म की पहचान कर प्रदेश के 3 शासकीय तथा मिशन से संबंध 2 निजी बायो टक्नोलॉजी प्रयोगशालाओं के द्वारा काष्ट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (IWST), बैंगलोर तथा वर्षा वन अनुसंधान संस्थान (RFRI), जोरहट सहयोग से बांस की 9 विभिन्न प्रजातियों के टिशु कल्चर पौधे तैयार किये जा रहे हैं। इस हेतु कुल 19 बांस प्रजातियों के प्रोटोकाल व कल्चर भी तैयार कर लिये गये है। इस वर्ष 07 बांस प्रजातियों के पौधो का वृहद स्तर पर व्यापारिक उत्पादन भी कर लिया गया है।
  - ➢ टिशु कल्चर पौधो को विकेन्द्रीकृत बांस रोपणियों के माध्यम से प्रदेश के वन क्षेत्रों एवं कृषकों को रोपण के लिये उपलब्ध कराना। वर्ष 2016 में इन विकेन्द्रीकृत रोपिणयों के माध्यम से 15,41,000 तथा वर्ष 2017 में 16,53,350 बांस की विभिन्न प्रजातियों के पौधो को रोपण हेतु उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2018 में बांस मिशन से संबद्ध रोपणियों द्वारा बांस की विभिन्न प्रजातियों के 22 लाख पौधो को रोपण हेतु उपलब्ध कराया गया। पुर्नगठित राष्ट्रीय बांस मिशन योजना अंर्तगत इस वर्ष निजी क्षेत्र में 4 छोटी बांस रोपणियां एवं शासकीय क्षेत्र में 2 उच्च तकनीक बांस रोपणियां स्थापित की जा रही हैं।
  - ➢ प्रदेश में समस्त 11 एग्रोक्लाइमेटिक जोन मे बांस की विभिन्न प्रजातियों की फील्ड ट्रायल हेतु 12 बेम्बूसेटम की स्थापना की गई है। बेम्बू सेटम में निरंतर नवीन बांस प्रजातियों का रोपण कराकर उनकी बढ़त के आंकड़े संकलित किये जा रहे हैं। वर्ष 2018–19 में नवीन राष्ट्रीय बांस मिशन योजना अंर्तगत 200 हेक्टेयर क्षेत्र में उच्च सघनता के बांस वृक्षारोपण स्थापित किये जा रहे हैं।
  - ➢ फील्ड ट्रायल में सफल बांस प्रजातियों के कृषि भूमि पर बांस प्रदर्शन प्लाट स्थापित किये गये हैं। वर्ष 2015–16 में वन क्षेत्रों में 20 बांस प्रदर्शन प्लाट, वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में 17 प्रदर्शन प्लाट कृषि क्षेत्र में स्थापित किये गये हैं। वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 में म.प्र. वन विकास निगम के द्वारा वन क्षेत्रों में 11 परियोजना मंडलों में कुल 22 प्रदर्शन प्लाट स्थापित किये गये है। वर्ष 2018–19 में पुर्नगठित राष्ट्रीय बांस मिशन योजना अंर्तगत 50 बांस प्रदर्शन प्लाट सवीकृत किये गये हैं तथा केम्पा मद अंर्तगत 30 बांस प्रदर्शन प्लाट स्वीकृत किये गये हैं।
  - ➢ पूर्व से स्थापित बांस प्रदर्शन प्लाट में स्थानीय कृषको को बांस कृषि पद्धति का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
  - ➢ वर्ष 2016 में कृषि क्षेत्र में प्रदेश के 27 वनमंडलो के अंतर्गत 16 लाख बांस के पौधो का गैर वन भूमि पर रोपण किया गया। वर्ष 2017 में लगभग 15 लाख 30 हजार बांस के पौधों का कृषि क्षेत्र में रोपण कराया गया था। प्रदेश में बांस मिशन द्वारा वर्ष 2018 में 4131 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस के पौधों का गैर वन भूमि पर रोपण लक्ष्य आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त कैम्पा मद से बांस मिशन द्वारा 2 लाख बांस के पौधों का कृषि क्षेत्र में रोपण कराया गया है।

1.10.4 शिल्पकारों का कौशल उन्नयन एवं नवीन बांस उत्पादो का डिजाईन प्रशिक्षण निर्माण एवं विपणन

- प्रदेश के परम्परागत् बांस शिल्पकारों को नवीन बांस उत्पादो के डिजाईन एवं निर्माण हेतु वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय डिजाईन संस्थान, अहमदाबाद से करारनामा (MoU) कर त्री–स्तरीय कौशल उन्नयन प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

  वर्ष 2016–17 में प्रथम स्तर का प्रशिक्षण (ओरियेटेशन फेस) में 7 स्थानों पर 335 शिल्पकारों को प्रशिक्षित किया गया। द्वितीय स्तर (डिजाईन फेस) के 15 दिवसीय प्रशिक्षण में चयनित 34 शिल्पकारों को प्रशिक्षित किया गया तथा तृतीय फेस (प्रोडक्सन फेस) के 10 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित कर प्रशिक्षित किया गया।

  इसके अतिरिक्त प्रदेशभर में 8 स्थलो पर प्रथम स्तर का प्रशिक्षण (ओरियेटेशन फेस) में 270 शिल्पकारों को प्रशिक्षित किया गया। द्वितीय स्तर (डिजाईन फेस) के 10 दिवसीय प्रशिक्षण में चयनित 22 शिल्पकारों को प्रशिक्षित किया गया तथा तृतीय फेस (प्रोडक्सन फेस) के 15 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित कर 25 शिल्पकारों को प्रशिक्षित किया गया।

  इस प्रकार विगत 2 वर्षों में कुल 720 शिल्पकारों को बांस उत्पाद निर्माण हेतु कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

  वर्ष 2018–19 में नवीन राष्ट्रीय बांस मिशन योजना अंर्तगत 700 बांस कृषकों एवं शिल्पकारों के प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- **बांस उत्पादों का विपणन** – शिल्पकारों एवं CFC द्वारा निर्मित बांस उत्पादों के विपणन हेतु प्रदेश में 6 स्थलों पर बांस एम्पोरियम स्थापित कर उनको सामान्य सुविधा केन्द्रो से संबद्ध किया गया।

- सामान्य सुविधा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण – बांस उत्पाद निर्माण को सुचारू बनाने एवं विपणन को सुलभ बनाने हेतु प्रदेश के सामान्य सुविधा केन्द्रों (CFC) पर बांस उत्पाद निर्माण में उपयोगी नवीन औजार, मशीने तथा उपकरण उपलब्ध कराकर उनका सुदृढ़ीकरण किया गया।

  पूर्व में संचालित बांस सामान्य सुविधा केन्द्र सनौरा(सतना), बैहर एवं गर्रा (बालाघाट) तथा टिमरनी (हरदा) के निरंतर सुदृढ़ीकरण के साथ –साथ नरसिंहपुर, सिवनी, सीधी छिंदवाड़ा एवं इंदौर में नवीन बांस सामान्य सुविधा केन्द्रों के उन्नयन का कार्य नवीन राष्ट्रीय बांस मिशन योजना अंर्तगत लिया जा रहा है। इन केन्द्रों पर विषय विशेषज्ञों के द्वारा कौशल उन्नयन प्रशिक्षण भी आयोजित किये जा रहे हैं।

वर्ष 2018–19 हेतु पुर्नगठित राष्ट्रीय बांस मिशन योजना अंर्तगत बांस सामान्य सुविधा केन्द्रों एवं प्रदेश के प्रमुख बांस कल्स्टरों में निम्नलिखित बांस आधारित सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित किये जा रहे है जिसका **विवरण तालिका क्रमांक1.59** मे दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.59

बांस इकाई का नाम	निजी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली इकाइयों की संख्या	शासकीय इकाइयों की संख्या
बांस उपचारण एवं सीजनिंग इकाई	3	5
बांस कार्बोनाइजेशन इकाई	2	0
बांस आजीविका प्रसंस्करण केन्द्र	0	2
बांस प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन इकाई	5	9

बांस कचड़ा प्रबंधन ईकाई की स्थापना	2	3
बांस हस्थ शिल्प इकाई	6	5
बांस फर्नीचर निर्माण इकाई	4	3
बांस आभूषण निर्माण इकाई	4	0
अगरबत्ती काड़ी निर्माण इकाई	4	0
बांस बोर्ड निर्माण इकाई	1	0
एक्टीवेटेड कार्बन उत्पाद इकाई	0	1
बांस डिपो एवं गोडाउन की निर्माण	0	2
बांस मंडी की स्थापना एवं इ–ट्रेडिंग	1	1
बांस बाजार की स्थापना	0	3

1) बांस से जुड़े संस्थानों से समन्वय तथा बांस उत्पादों के विकास पर अनुसंधान कार्य। म.प्र. राज्य बांस मिशन द्वारा बांस क्षेत्र से जुड़े कार्यो के संपादन हेतु निम्नलिखित संस्थाओं से समन्वय किया गया है –

2) बांस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य हेतु म.प्र. लघुवनोपज संघ, म.प्र. वन विकास निगम, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगलोर तथा वर्षा वन अनुसंधान संस्थान(RFRI), जोरहट से समन्वय किया गया।

3) बांस उत्पाद निर्माण एवं कौशल उन्नयन हेतु राष्ट्रीय डिजाईन संस्थान (NID), बेम्बू एण्ड केन डेवलेपमेंट इन्स्टीट्यूट (BCDI), भास्कर फाउण्डेशन, म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिसद (MPCoST) से समन्वय किया गया।

1.10.5 वित्तीय उपलब्धियाँ

म.प्र. राज्य बांस मिशन का वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक आवंटन एवं व्यय तथा वर्ष 2018–19 हेतु स्वीकृत राशि का विवरण तालिका क्रमांक1.60 मे दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.60

(राशि – लाख रू. में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष	राज्यांश	केन्द्रांश	योग
1.	योजना क्रमांक 7458 राज्य बांस मिशन 42 सहायक अनुदान 007 अन्य	2015–16	1029.25	605.50	1634.75
2.		2016–17	85.15	1094.85	1180.00
3.		2017–18	79.55	33.51	113.06
4.	योजना क्रमांक 7458 समग्र बांस विकास योजना 42 सहायक अनुदान 007 अन्य	2018–19	1283.54	1445.69	2729.23